

पत्र सं०:- 26/विविध-06-28/2025...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक.....।

विषय :- Arbitration Case में पारित अवार्ड एवं Execution Case के संदर्भ में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-407 दिनांक-28.01.2025।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा विभिन्न Arbitration वादों में विभाग के विरुद्ध पारित अवार्ड की अद्यतन स्थिति तथा यदि पारित अवार्ड के विरुद्ध वादी द्वारा Execution Case दायर है, तो उसकी अद्यतन स्थिति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। यह खेदजनक है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त के संदर्भ में अद्यतन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०:-यथावत्।

विश्वासभाजन

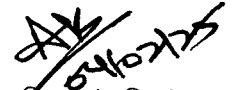
ह०/-

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक..... 480 495 दिनांक..... 4/2/2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई0मेल करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)